

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. हंसराज यादव पुत्र भीपाल यादव नि० बॉस गाँव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-224/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अटल निषाद पुत्र राम सागर नि० दुल्लापुर मल्हानपुरवा थाना नवाबगंज के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-224/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. मोनू सोनकर पुत्र ननकू प्रसाद नि० महुआडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-292/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गोण्डा।** शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त नकछेद पुत्र गया प्रसाद नि० अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-164/20, धारा 323.504.506.304 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 08.01.2020 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के ग्राम अमदही में पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट की थी। जिससे वादी जुर्रे पुत्र कल्लू नि० अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के पिता को गम्भीर चोटें आयी थी, जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को उमरीबेगमगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गोण्डा।** गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त रामटहल उर्फ टहल पुत्र सुकाले नि० परसदा बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-130/20, धारा 323.504.304 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने अपने परिवारजनो के साथ मिलकर पुरानी जमीनी विवाद के चलते वादी जितेन्द्र पुत्र मख्खू नि० डिडिसिया खुर्द थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के पिता को मारा-पीटा था। जिससे वादी के पिता को गम्भीर चोटें आयी थी, जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर ट्रैक्टर बेचने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 12 अदद ट्रैक्टर बरामद—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. तुलसीराम वर्मा पुत्र साधू शरन वर्मा नि० मूड़ाडीहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01.मु०अ०सं०—216/20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी—

01. 12 अदद ट्रैक्टर।

संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी पंकज सिंह पुत्र पाटेश्वरी सिंह नि० खड़ावा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर एक स्वराज ट्रैक्टर रू० 4,50,000/— में बेचा था। फर्जीवाड़ा की जानकारी होने पर वादी द्वारा थाना मोतीगंज में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें थाना मोतीगंज व जनपद की स्वाट टीम ने कार्यवाही करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से 12 ट्रैक्टर को बरामद किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. कन्हई प्रसाद प्र०नि० मोतीगंज।
02. उ०नि० अतुल चतुर्वेदी प्रभारी स्वाट।
03. उ०नि० विजय कुमार।
04. उ०नि० जितेन्द्र यादव।
05. हेड का० श्रीनाथ शुक्ला।
06. का० मुलायम यादव।
07. का० राजेन्द्र यादव।
08. का० निखिल कुमार राठौर।
09. का० राम सजीवन यादव।

